

कार्यालय जिला एवं सेशन न्यायाधीश, जालोर

क्रमांक :

दिनांक : 04/09/2025

**निलामी इशतिहार**

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय में विडिंगशुदा कागजों की निलामी जिसकी मात्रा करीब 70 विवटल होगी, जिसकी निलामी दिनांक 19.09.2025 को दिन में 12.00 से 03.00 बजे के मध्य न्यायालय परिसर, जालोर में खुली बोली द्वारा की जावेगी। निलामी के इच्छुक फर्म/व्यक्ति इस कार्यालय में आकर उक्त दिनांक, समय व स्थान में बोली लगा सकते हैं। शर्तें जिला न्यायालय, जालोर की वेबसाइट <https://jalore.dcourts.gov.in> पर देखी जा सकती हैं। निलामी योग्य विडिंगशुदा रद्दी कागजों का निरीक्षण कार्यालय समय व कार्यालय दिवस में अभिलेखागार, जिला न्यायालय, जालोर में आकर कर सकते हैं।

**निलामी की शर्तें निम्नलिखित रहेगी :-**

- 1- विडिंगशुदा रद्दी कागजात खुली निलामी द्वारा उपस्थित बोलीदाता के समक्ष बेचे जावेंगे।
- 2- निलामी के कागजात खरीदने वाले प्रत्येक बोलीदाता को रुपये 1500/- बतौर धरोहर राशि जमा करवाने होंगे जो निलामी समाप्ति होने के पश्चात असफल बोलीदाता को उसी समय वापस लौटा दिये जावेंगे तथा कोई व्यक्ति बिना धरोहर राशि जमा करवाए बोली नहीं दे सकेगा।
- 3- निलामी की दरें प्रति किलोग्राम से ली जावेगी।
- 4- अधिकतम निलामी की राशि बोली देने वाले के नाम निलामी समाप्त करना या नहीं करना अधोहस्ताक्षरकर्ता के अधीन रहेगा।
- 5- निलामी में सफल खरीददार को विडिंगशुदा रद्दी कागज उसी दिन तुलवाने के बाद विक्रय राशि उसी दिवस इस कार्यालय के कैशियर को जमा करवानी होगी। संपूर्ण राशि जमा होने के पश्चात निलामीशुदा रद्दी कागजात बाएवज रसीद खरीददार को सुपुर्द कर दिये जावेंगे।
- 6- निलामी के सफल खरीददार को विडिंगशुदा रद्दी कागजात तोलने हेतु कांटा-बाट एवं तुलवाने की व्यवस्था एवं उसका खर्चा वहन करना होगा।
- 7- विडिंगशुदा रद्दी कागजात की विक्रय राशि पर नियमानुसार यदि कोई कर/वेट देय होगा तो उसके जमा का भार सफल बोलीदाता (कय करने वाले) पर होगा।
- 8- विडिंगशुदा रद्दी कागजात की न्यूनतम बोली 13/- रुपये प्रति किलो की रहेगी।
- 9- किसी भी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरकर्ता का निर्णय अंतिम व मान्य होगा।
- 10- निलामी की तिथि स्थगित करने तथा अंतिम बोली स्वीकार व अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता को होगा।
- 11- खरीददार को यह प्रमाण पत्र देना होगा कि रद्दी का प्रयोग लुग्दी बनाने में ही किया जावेगा।

- sd -

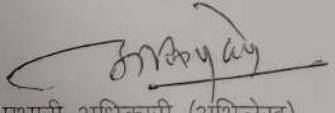
प्रभारी अधिकारी (अभिलेख)  
जिला एवं सेशन न्यायालय  
जालोर

क्रमांक : 582 to 603

दिनांक : 04/09/2025

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

- 1- श्रीमान् जिला एवं सेशन न्यायाधीश.....
- 2- जिला कलेक्टर, जालोर।
- 3- सहायक परिसेवक, कार्यालय हाजा।
- 4- सिस्टम ऑफिसर, कार्यालय हाजा जालोर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त निलामी इशतिहार का प्रकाशन जिला एवं सेशन न्यायालय, जालोर की वेबसाइट पर करावें।
- 5- नगर परिषद, जालोर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।
- 6- आम चौहटा, जालोर पर चस्पा हेतु।
- 7- नोटिस बोर्ड, अदालत हाजा।
- 8- फर्म मैसर्स.....

  
प्रभारी अधिकारी (अभिलेख)  
जिला एवं सेशन न्यायालय  
जालोर